न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , अजमेर केम्प कोर्ट बूबानी

पीठासीन अधिकारी महावीर सिह आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या– 13/2019

1. गोपी पुत्र स्व0 श्री बीजा जी जाति रावत
2. मानसिह पुत्र स्व0 श्री बीजा जी जाति रावत
3. मोती सिह पुत्र स्व0 श्री बीजा जी
4. होनी पुत्री स्व0 श्री बीजा जी
5. तीजा पुत्री स्व0 श्री बीजा जी

समस्त जाति रावत निवासीगण ग्राम मुहामी तहसील व जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार अजमेर
2. रामजीवण पुत्र श्री छोटू जी जाति रावत
3. सायर पुत्र श्री मादा जाति रावत

दोनो जाति रावत निवासीगण ग्राम मुहामी तहसील व जिल अजमेर

अप्रार्थी

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश दिनांक 09.12.2021

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान ग्राम बूबानी में पेश हुई। प्रार्थी गोपी उपस्थित। पेरोकार सरकार एवं तहसीलदार अजमेर उपस्थित। उभय पक्ष को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पर सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्किग जमाबंदी संवत 2042 के खाता संख्या 255 में दर्ज आराजीयात खसरा नम्बर वर्किग 1101 रकबा 0–11–00 एवं खसरा नम्बर 1503 रकबा 0–18–00 जो कि ग्राम मुहामी तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित होकर प्रार्थीगण के पिता श्री बीजा सिह पुत्र श्री लाला जाति रावत के नाम जरिये खरीद नामान्तकरण संख्या 893 दिनांक 05.09. 2008 के अनुसार 7/8 हिस्से पर बहैसियत खातेदारी एवं काश्तकारी में दर्ज है तथा मौके पर भौतिक रूप से कब्जा काश्त आज दिवस तक निरन्तर चला आ रहा है तथा शेष 1/8 हिस्से

Scanned by CamScanner

पर अप्रार्थी संख्या 3 सायर पुत्र मादा के नाम दर्ज है। इस प्रकार वर्तमान में प्रार्थीगण के पिता श्री बीजा सिह का स्वर्गवास हो चुका है जिससे यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त वर्णित आराजी के वर्तमान भू संशोधन के दौरान परिवर्तित खसरा नम्बर वर्किंग खसरा नम्बर 1101 रकबा 00–11–00 के आधार खसरा नम्बर 3081 रकबा 0.09 वर्किंग खसरा नम्बर 1503 रकबा 00–18–00 के आधार खसरा नम्बर 3085 रकबा 0.15, वर्किंग खसरा नम्बर 1502 रकबा 00–19–00 के आधार खसरा नम्बर 3078 रकबा 0.03,3083 रकबा 0.04, खसरा नम्बर 3079 रकबा 0.05, खसरा नम्बर 3136 रकबा 0.03 है । प्रार्थीगण को उक्त वर्णित आराजी जो कि पूर्व नक्शा ट्रेस सन 1971–72 में दर्ज खसरा नम्बर वर्किंग 1101 जो कि दक्षिण की ओर अवसिति है कि जिसके उत्तर पूर्व में भूमि खसरा नम्बर 1105 की सीमाओं के लगाकर प्रार्थीगण की अन्य खसरा नम्बर 1503 की भूमि भौतिक रूप से स्थित है तदनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में उक्त खसरा नम्बर 1503 की सीमाए जो कि दक्षिण में अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि 1502 एवं उततर में भूमि खसरा नम्बर 1504 एवं पश्चिम में भूमि खसरा नम्बर 1100 की सीमाओ के लगाकर नक्शा ट्रेस एवं मौके की वास्तविक भौतिक स्थिति के अनुरूप सीमाओ की तरमीम अंकित है। भू–संशोधन के दौरान तेयार किया गया राजस्व नक्शा ट्रेस सन् 1984–85 में प्रार्थीगण की उक्त भूमि 1503 के वर्तमान नवीन खसरा नवर 3085 वने है जिसे वर्तान नक्शा ट्रेस में उत्तर दिशा की ओर रास्ते की सीमा के लगाकर गलत रूप सरा नम्बर 3085 अंकित कर दिया गया जो कि पूर्व नक्शा ट्रेस की सीमाओ के विपरीत त्रुटिवश गलत रूप से अंकित कर दिया गया जिससे नक्शा ट्रेस दुरूस्ती किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3085 जिसकी वास्तविक एवं मौके की भौतिक परिस्थिति अनुसार वर्तमान नक्शा ट्रेस में अंकित अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि खसरा नम्बर वर्किंग 1502 जिसके नवीन खसरा नम्बर 3078, 3083 एवं 3079 वने है जिसे गलत एवं त्रुटिपूर्वक प्रार्थीगण की भूमि के स्थान पर 3078 एवं 3083 को अलग सीमाओ के रूप में अंकित कर दिया गया है तथा अन्य भूमि खसरा नम्बर 3079 की अलग वडी सीमा के रूप में अंकित कर दिया गया है इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 की उक्त भूमि 3078 एवं 3083 को उसके अन्य शामिल खसरा नम्बर 3079 के साथ भौतिक सीमाओ के अनुरूप दुरूस्ती अंकित किये जाने एवं उक्त खसरा नम्बर यानि 3078 एवं 3083 के स्थान पर प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 3085 को एक सीमा अनुरूप अंकित किये जाने हेतु

Scanned by CamScanner

प्राथिना पत्र प्रस्तुत है। हाल भू-संशोधन के दौरान तैयार किया गया वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस आदि को पूर्व राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस सन् 1971–72 के अनुरूप ही वर्तमान राजस्व नक्शे सन् 1984–85 में सीमाओ की तरमीम मौके की भौतिक एवं वास्तविक स्थिति अनुसार वर्तमान नवीन खसरा नम्बरान का अंकन किया जाना कानूनन् आवश्यक है जिसमें राजस्व एजेन्सी को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बगैर किसी प्रकार का परिवर्तन करने का कोई विधिक हक अथवा अधिकार प्राप्त नही है जिससे वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस में हुई सहवन से लिपिकीय त्रुटि दुरूस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अतः प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर हाल 3085 को अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि खसरा नम्बर 3078 एवं 3083 की सीमाओ के स्थान पर एक सीमा में 3085 का अंकन किया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि खसरा नम्बर 3078 एवं 3083 को उसका अन्य शामिल खसरा नम्बर 3079 के साथ अलग अलग सीमाओ में वर्तमान नक्शा ट्रेस सन् 1984–85 ग्राम मुहामी में दुरूस्ती किये जाने के विधि सम्मत आदेश पारित कर तदनुसार उक्त दुरूस्ती आदेश जरिये अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार महोदय से वर्तमान नक्शे में कराये जाने हेतु निर्देश जारी करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी 2 व 3 की ओर से श्री राजेन्द्र सिह रावत अधिवक्ता दिनांक 8.8.2019 को उपस्थित आये।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं 9 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया सहिता पर उभय पक्ष का सुना गया । न्यायहित में प्रार्था पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं 9 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया सहिता स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 के वारिसान को रेकार्ड पर लिया जाता है।

तहसीलदार अजमेर ने दौराने केम्प जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वर्किंग खसरा नम्बर 1503 रकबा 1–18–00 नामान्तकरण संख्या 893 दिनांक 5.4.08 से केता बीजा सिह पुत्र लालसिह 7/8 एवं सायर पुत्र मादा हि. 1/8 रहा जिसका नवीन खसरानम्बर 3085 रकबा 0.15 बना जो हाल रेकार्ड में खातेदारी बीजा सिह पुत्र लाला हि. 7/8 सायर पुत्र मादा 1/8 हि. खातेदार के नाम अंकित है प्रार्थीगण की उक्त भूमि की राजस्व मानचित्र वर्किंग में खसरा नम्बर 1503 की स्थिति रास्ते से दूर होकर 1502 के उत्तर में व 1505 के दक्षिण पूर्व दिशा की ओर अंकित थी लेकिन नवीन राजस्व मानचित्र में 1503 के नये नम्बर 3885 की रास्ते

Scanned by CamScanner

से लगते हुए वर्किंग खसरा नम्बर 1505 की जगह दर्शाया गया है जिसकी प्रार्थी द्वारा दुरूस्ती चाही गयी है। गत व हाल राजस्व मानचित्र का अवलोकन करने पर वर्किंग खसरा नम्बर 1502, 1503,1505,1100 व 1101 के नवीन खसरा नम्बरा 3082, 3081, 3078, 3083, 3079, 3136, 3085 की राजस्व मानचित्र में सभी की आकृतियॉ परिवर्तित हुयी है। मूल प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा जो दुरूस्ती चाही गयी है उससे सबंधित वर्किंग खसरा नम्बर 1505 हाल खसरा नम्बर 3085 रकबा 0.15 के खातेदार कमला पुत्री गेनसिह पत्नी हरनाथ सिह रावत को पक्षकार नही बनाया गया है उक्त खातेदार की भूमि की स्थिति प्रभावित हो रही है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे ।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मुताबिक गत व हाल राजस्व मानचित्र का अवलोकन करने पर वर्किंग खसरा नम्बर 1502, 1503,1505,1100 व 1101 के नवीन खसरा नम्बरा 3082, 3081, 3078, 3083, 3079, 3136, 3085 की राजस्व मानचित्र में सभी की आकृतियॉ परिवर्तित हुयी है। मूल प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा जो दुरूस्ती चाही गयी है उससे सबंधित वर्किंग खसरा नम्बर 1505 हाल खसरा नम्बर 3085 रकबा 0.15 के खातेदार कमला पुत्री गेनसिह पत्नी हरनाथ सिह रावत को पक्षकार नही बनाया गया है उक्त खातेदार की भूमि की स्थिति प्रभावित होती है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 131 एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 खारिज योग्य प्रतीत होता है।

परिणामतः उपरोक्त विवेचन, विषलेशण अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।

आदेश आज दिनांक 09.12.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया ।

महावीर सिह
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner